Act, 1969 where separate redressal machineries have been provided to deal with such offences.

Consumer Groups Dissatisfied with Functioning of Consumer Courts

1689. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of consumer groups have expressed their dissatisfaction with the functioning and file-up of cases in Consumer Courts of the country;

(b) if so, the break-up of consumer disputes pending in various courts of the country as on date;

(c) whether it is also a fact that Government propose to entrust such cases to other agencies also for quick disposal; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) The Consumer organisations have generally expressed their dissatisfaction over the functioning and pendency of cases in the consumer courts;

(b) A statement of cases pending in the State Commissions and District Consumer Fora in various States/UTs is enclosed. [See Appendix 17.2, Annexure No. 38.]

(c) No, Sir.

(d) Question does not arise.

Committee to Advise BIS on Quality Control

1690. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether a Committee had been constituted to advise the Bureau of Indian Standards (BIS) on ways and means to deal with violations of quality control orders as also misuse of ISI mark;

(b) if so, whether the Committee has become functional and has given any advice to BIS so far and if so, the details thereof;

(c) the details of the products for which the BIS has developed standards and whether the standards have been obligatory upon those products and if so, from which date;

(d) whether there is any proposal to constitute a similar committee to monitor the functioning of the Super Bazar and the Kendriya Bhandar to ensure that only quality goods are sold through them at reasonable prices as also the availability of all quality goods in all the branches of these organisations; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) Yes, Sir. A Standing Committee on Enforcement has been set up by the Bureau of Indian Standards. The Committee has become functional and the main recommendations of the Committee are as under:—

(i) BIS should launch publicity drives so that concepts and requirements of quality and standards and legal provisions thereon become widely known all over the country.

(ii) Lacunae in the existing statutory provisions on enforcement of quality standards should be plugged

(iii) Consumer organisations should be involved for supplementing the efforts of the BIS and the State Governments/UTs. These organisations should take recourse to Consumer Protection Act and MRTP Act for enforcing the quality of products.

(c) BIS has developed approximately 16,500 standards covering various types of products, methods of tests, code of practice, vocabulary, etc. On considerations of health and safety of consumers, the Government has brought certain items, covering 125 standards, under mandatory certification through various notifications/quality control orders issued under Essential Commodities Act, 1955, Prevention of Food Adulteration Act, 1954, etc. Details of these items, including dates of mandatory certification, are indicated in the Annexure. [See Appendix 17.2, Annexure No. 39.]

(d) and (e) There are no proposals to constitute committees to monitor the functioning of Super Bazar and Kendriya Bhandar. It is the endeavour of these organisations to sell only quality goods at reasonable prices and also to ensure their availability at all the branches.

सुपर बाजार के महाप्रबंधक द्वारा संसद सदस्यों से प्राप्त हुए पत्रों और अभ्यावेदनों का उत्तर दिया जाना

1691. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार के महाप्रबंधक द्वारा सांसदों द्वारा भेजे जा रहे पत्रों और अभ्यावेदनों के उपयुक्त उत्तर दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह सच है कि उपमहाप्रबंधक के निजी सचिव ने सूचित किया है कि सुपर बाजार में महाप्रबंधक ने सांसदों के पत्रों का उत्तर देने और उनके संबंध में रसीद/पावती भेजने की कोई व्यवस्था नही की है और क्या यह भी सच है कि सुपर बाजार मे सहायक प्रबंधक (कार्मिक) और महाप्रबंधक तथा उपमहाप्रबंधक के निजी सचिवों द्वारा सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कर्मचारियो के विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी प्रत्येक मामले मे उपमहाप्रबंधक द्वारा सांसदो को व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाता है और इस प्रकार उनका अपमान किया जा रहा है तथा इस प्रक्रिया में सासदों के पद की गरिमा को काफी हद तक क्षति पहुंचाई जाती है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, हां ।

(ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि माननीय संसद सदस्यों द्वारा भेजे गए सभी पत्रो पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है और की गई कार्यवाही के बारे में उत्तर भेजा जाता है ।

(ग) जी, नही ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

सुपर बाजार के महाप्रबंधक को सांसदों से प्राप्त हुए पत्र

1692. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान अब तक बिक्री सहायकों के स्थानान्तरण के संबंध मे सुपर बाजार के महाप्रबंधक को सांसदों से कितने पत्र प्राप्त हुए ,

(ख) सांसदों द्वारा कितने तथा किन-किन बिक्री सहायकों के बारे मे ऐसी सिफारिशे की गई थीं ;

(ग) सुपर बाजार के महाप्रबंधक द्वारा इस संबंध में अब तक क्या ठोस कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या यह सच है कि महाप्रबंधक और सहायक प्रबंधक ने एक सांसद के उन पत्रों की पावती देने से साफ इंकार कर दिया है जिनमें सांसद ने नियंत्रण कक्ष में तैनात एक महिला कर्मचारी के बारे में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में हस्तक्षेप किया है अथवा हस्तक्षेप करने का विचार रखती है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जनवरी, 1994 से 12 दिसम्बर, 1994 को अवधि के दौरान तीन पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) और (ग) दो; (i) श्री अश्वनी कुमार, (ii) सुश्री एलिजाबेथ माइकल ।

सुपर बाजार ने सूचित किया है कि स्थिति माननीय संसद सदस्यों को स्पष्ट कर दी गई है ।

(घ) जी, नही ।

(ङ) और (च) ऊपर (घ) को देखते हुए प्रश्न नही उठता ।

सुपर बाजार द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का मूल्य

1693. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार ने बिना कोई निविदा आमंत्रित किये अपने वस्त्र और फर्नीचर प्रभागों के लिए कुल कितनी धनराशि की वस्तुएं खरीदी हैं;

(ख) उक्त वस्तुएं किन-किन विनिर्माताओं/वितरकों से खरीदी गई थी;

(ग) क्या सुपर बाजार के वस्त्र और फर्नीचर प्रभागों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और वहां कार्यरत कर्मचारियों और बिक्री सहायकों द्वारा ग्राहकों को लूटा जा रहा है और बिक्री-रसीदों में कीमतों के आंकड़ों में भारी हेरा-फेरी की जा रही है;

(घ) सुपर बाजार द्वारा बेचे जा रहे फर्नीचर और वस्त्रो के ब्रांड नाम क्या-क्या हैं और उनकी खरीद तथा बिक्री की दरें क्या-क्या हैं और गत तीन वर्षो के दौरान माहवार कितनी बार उनकी खरीद दरे संशोधित की गई, और इसके क्या कारण है; और

(ङ) सुपर बाजार को खुले बाजार की दरों से अधिक दरों पर माल की आपूर्ति करने वाले संभरको की संख्या कितनी है ?